क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हैल्थ इज़ वैल्थ की बात करते हैं, परन्तु हैल्थ ही नहीं होगी तो उस वैल्थ का क्या करेंगे ?

आश्वासन देता हूं कि अगर कोई इस प्रकार की बात सामने आती है तो उसकी जानकारी दे दें। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी उद्योगपति अनट्रीटेड पानी छोड़ रहा है तो उसकी जानकारी दे दें। हम संबंधित एरिया में अधिकारियों को मौके पर भेजकर चैक करवाएंगे। अगर कोई कमी पायी जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

18.03.2021

571. श्री चिरंजीव राव, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 820 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान से धारूहेड़ा तक आने वाले औद्योगिक अपशिष्ट जल को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो राष्ट्रीय राजमार्ग–98 को अवरूद्ध करता है तथा धारूहेड़ा के लोगों तथा यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनता है; यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

*****मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में यह कहा है कि इस मामले में राजस्थान गवर्नमैंट को एन.जी.टी. ने जो निर्देश दिये हैं राजस्थान गवर्नमैंट उनकी पालना नहीं कर रही है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इसका काम कब तक पूरा हो जायेगा क्योंकि पिछले 6 साल से धारूहेड़ा के लोग इस तकलीफ को झेल रहे हैं।*****

हाँ, श्रीमान जी, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हरियाणा सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए नियमित पत्राचार, क्षेत्र का निरीक्षण तथा संयुक्त बैठकों के रूप में राजस्थान सरकार के पास मामला उठाया है।

इस सम्बन्ध में (आवेदन पत्र क्रमांक 124/2015) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नैशनल ग्रीन ट्रब्यूनल), नई दिल्ली/शीर्षक सुमित्रा देवी बनाम सी०पी०सी०बी० के समक्ष दायर किया है जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 12.12.2017 द्वारा भिवाड़ी, राजस्थान से धारूहेड़ा हरियाणा में औद्योगिक तथा घरेलू बहिःस्त्राव को रोकने हेतु उचित कदम उठाने के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश जारी किए गए है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एच0एस0पी0सी0बी0) ने माननीय अधिकरण के दिनांक 12.12.2017 के आदेशों को राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित न करने के लिए नैशनल ग्रीन ट्रब्यूनल (एन0जी0टी0) के समक्ष कार्यन्वयन आवेदन क्रमांक 42/2019 भी दायर किया है।

अब, एन0जी0टी0 ने आदेश दिनांक 04.02.2021 द्वारा कानून के नियम की पालना करने तथा जनता के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए मामले में उचित आपातिक उपाय करने के लिए राजस्थान राज्य तथा इनके प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं। माननीय अधिकरण ने पर्यावरण को की गई हानि के लिए मुआवजों का निर्धारण करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) को निर्देश भी दिए है। माननीय अधिकरण के 3 मास के भीतर उपरोक्त कथित प्रक्रिया पूरी

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि पांच मलजल उपचार संयन्त्र (एस0टी0पी0) घरेलू उपशिष्ट जल के उपचार के लिए नगरपालिका भिवाड़ी द्वारा निर्मित किए जाने योजनाबद्व थे जिसमें से चार एस0टी0पी0 संचालित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव, राजस्थान ने यह भी सूचित किया है कि सामूहिक बहि:स्त्राव उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) भिवाड़ी परिचालन में हैं तथा उपचारित बहि:स्त्राव राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा के निकट किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया है कि राजस्थान सरकार ने शून्य तरल बहन स्तर तक सी.ई.टी.पी. को आगे उन्नत करने तथा उपचारित बहि:स्त्राव का पुन:प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की है।

मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि यह परियोजना वित्त

748

वर्ष 2021–2022 की समाप्ति तक पूरी की जानी संभावित है।

*****अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसके बारे में यह बताना चाहूंगा कि एन.जी.टी. ने इस मामले में जो आदेश दिये हैं उनके मुताबिक तीन महीने के अंदर–अंदर इस काम की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। इसके साथ ही साथ जो हानि हुई है उसके मुआवजे के लिए भी एन.जी.टी. ने सम्बंधित डिपार्टमैंट को आदेश दिये हैं।

16.03.2021

572. तारांकित प्रश्न संख्या 744 के संदर्भ में श्री नीरज शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न XXX इस सदन में मुझे विश्वास दिलाया जाये कि सड़क पर (60 फीट एयरफॉर्स रोड पॉल्यूशन कम करने बारे) मौके पर तीन महीने में एक बार चीफ सैक्रेटरी लैवल के ऑफिसर की मीटिंग होगी तो वंहा से प्रदूषण अपने आप खत्म हो जायेगा। इस प्रदूषण की वजह से हमारे यंहा हर 10 वां आदमी कैंसर से मर रहा है।

XXX स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने सभी सुझावों को लिखित रूप में मुझे भिजवा दें। हम उनको भी इम्पलीमैंट करने का प्रयास करेंगे। जहां तक वहां पर पेड़ लगवाने की बात है हम जल्दी से जल्दी वहां पर पेड़ लगवाने काम शुरू करवायेंगे।

749

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्रवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

04.03.2020

370. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (ii) जिला रेवाड़ी में मनेठी में एम्स के निर्माण में देरी से संबंधित के सन्दर्भ में श्री चिरंजीव राव द्वारा पूछा गया प्रश्न : स्पीकर सर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मनेठी गांव के अंदर 04 जुलाई, 2015 को एम्स बनाने की घोषणा की थी। ***** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मनेठी में एम्स को बनाने की कार्यवाही कब तक आरम्भ कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो डिटेल्ड रिप्लाई दे दिया है और उसमें बता दिया है कि सरकार ने ई–पोर्टल पर भूमि अपलोड कर दी है जो लगभग 947 एकड़ है और दूसरी 891 एकड़ है। जिस दिन हमें 200 एकड़ का एक चंक मिल जायेगा या भूमि की अदला बदली करके भी हमें एक 200 एकड़ का चंक मिल जायेगा तो हम इस एम्स को बनायेंगे।

***** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ये भी कुछ काम करें तो यह काम आसान हो सकता है। अगर ये जमीन उपलब्ध करवा दें तो यह काम जल्दी शुरू हो सकता है। इनको किसानों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि किसान ई–पोर्टल पर अपनी ऑफर अपलोड करें तथा किसानों से उनकी जमीन लेकर जल्दी एम्स का काम शुरू किया जा सके।

444

6.11.2020.

371. श्री दीपक मंगला, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 169 क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि जिला पलवल में जी.एन.एम. ट्रेनिंग स्कूल तथा नर्सिंग छात्रावास की ईमारत का निर्माण कार्य पूरा हो गया है परन्तु नर्सिंग कक्षाएं अब तक शिक्षण अमले के उपलब्ध न होने के कारण आरम्भ नहीं की गई हैं; यदि हां, तो उपरोक्त विद्यालय में शिक्षण अमला कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

नर्सिंग कालेज पलवल के लिए शिक्षण व गैर शिक्षण अमला स्वीकृत करवाने के लिए मामला विचाराधीन है। शैक्षणिक सत्र 2021–22 से आरम्भ होने की संभावना है।

445

10.03.2021

372. तारांकित प्रश्न संख्या–969 के संदर्भ में श्री सोमबीर सांगवान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने जवाब में यह कहा है कि जब प्रदेश के दूसरे चिकित्सा महाविद्यालयों में व्यवस्था उच्च स्तर पर पहुंच जायेगी उसके बाद ही चरखी दादरी में भी एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के बारे में विचार

स्पीकर सर, हमारा विभाग दादरी में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के विषय पर पुनर्विचार कर लेगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्रवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		24.02.2020		
296.	श्री चिरंजीव राव, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 25 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :–	(क) हाँ, श्रीमान जी।	इस संबंध में व्यक्त किया जाता है कि सेक्टर–20 रेवाड़ी में 5.32 एकड़ भूमि एच०एस०वी०पी० द्वारा महाविद्यालय के लिए अनुमोदित की थी परन्तु मुख्य प्रशासक, एच०एस०वी०पी० पंचकूला द्वारा पत्र क्रमांक AIUB–2019, 124452 दिनांक 15.07.19 के माध्यम से कॉलेज भवन के लिए 5.00 एकड़ भूमि 99 वर्षों पर लीज होल्ड आधार पर Nominal Lease Money रु. 100/– प्रति वर्ष की दर से प्रदान की गई है। प्रशासनिक स्वीकृति पीडब्ल्यूडी को पत्र क्रमांक 1/15–11 डब्ल्यू (2) दिनांक 20.12.18 के माध्यम से विभाग द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 12.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस संबंध में व्यक्त किया जाता है कि हाल ही में प्रस्तावित 5.00 एकड़ भूमि के पुनर्क्षेत्रीकरण	The Committee would like to know the latest position in this regard. (15-09-2021)
(क)	क्या रेवाड़ी में लड़कों के राजकीय महाविद्यालय की ईमारत का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा	(ख) राजकीय महाविद्यालय, रेवाड़ी के भवन के निर्माण का कार्य वित्त वर्ष 2020–21 मे आंरभ कर दिया जायेगा।		
(ख)	यदि हां, तो उपरोक्त ईमारत के निर्माण कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?			
			योजना/सीमांकन की स्वीकृति के लिए मुख्य प्रशासक एच०एस०वी०पी० को पत्र क्र० 1/15–11 दिनांक 01.12.2020 के माध्यम से अनुरोध किया जा चुका है और स्मरण पत्र क्रमांक 160041/68/2020–वर्क्स, दिनांक 26.04.2021 एंव 26.06.2021 को लिखा जा चुका है।	
		26.02.2020		
297.	तारांकित प्रश्न संख्या 42 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : थैंक यू अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के आदमपुर के बालसमंद गांव की 9.5 एकड़ जमीन में हुड्डा साहब की सरकार ने एक कॉलेज बनाने का प्रपोजल बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री के रिश्तेदारों ने उस 9.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है । उस पर वर्ष 2016 में स्टे लिया गया था लेकिन 9 अक्तूबर, 2017 से वह स्टे वैकेट हो गया है। अब उस पर न्यायालय ने पंचायत के हक में फैसला कर दिया है। अतः अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना	अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार जो भी कार्यवाही बनती होगी वह हम करेंगे। अगर कुछ गलत है तो हम निश्चित तौर पर खाली करवाएंगे।	महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा चौ0 चरण सिहं विश्वविद्यालय हिसार की 70 कनाल 11 मरला भूमि identify की गई थी प्रस्तावित भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरण हेतु विश्वविद्यालय से विभाग द्वारा पत्राचार किया गया था, परन्तु प्रस्तावित भूमि के स्थानांतरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान में महाविद्यालय के भवन निर्माण लगभग 8 से 10 एकड़ suitable & easy accessible भूमि के identification हेतु स्थानीय प्रशासन को डी0 ओ0 दिनांक 07–01–2021 पत्र दिनांक 21–01–2021 एवं स्मरण	The Committee would like to know the latest position in this regard. (15-09-2021)

Dropped
12.10.2022